न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

मेसर्स नरेन्द्र सोनी (पॉश कोड–7025) उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बामला, तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थिया)**

<u>प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत</u>

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री रामसिंह ऐरवाल एड. **(अप्रार्थी)**

<u>आदेश दिनांक– 22.01.2025</u>

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थिया इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 1488–95 दिनांक 09.04.2021 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू 253.18 क्विं. का गबन करने एवं राज. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा आपूर्ति किये गये गेंहू की राशि 81503/– रू. बकाया होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 8572–79 दिनांक 31.03.2022 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 26/1997 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त उचित मूल्य दुकानदार [illegible] 253.18 क्विं. गेंहू की राशि तत्कालीन समर्थन मूल्य दर वर्ष 2022–23 दर [illegible]5/– प्रति क्विं. की दर से गेंहू के पेटे 510158/– रू. तथा [illegible] की बकाया राशि 81503/– रू. कुल 591661/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

वसूली हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.04.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थी द्वारा पोश मशीन खराब हो जाने की शिकायत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के समक्ष पेश की थी। इस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से एक वितरण रजिस्टर मंगवाकर उस पर सील व मोहर लगाकर अप्रार्थी को उपलब्ध करवाया गया था। उसके बाद अप्रार्थी द्वारा उक्त 236.68 क्विं. गेंहू ऑफलाईन उपभोक्ताओं को वितरित कर उसका इन्द्राज प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये वितरण रजिस्टर में तथा उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में किया तथा ऑफलाईन वितरित किये गये गेंहू का वितरण रजिस्टर प्रार्थी के कार्यालय में जमा करवा दिया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा ऑफलाईन वितरित किये गये गेंहू को ऑनलाईन नहीं चढाया व न ही पोश मशीन से कम किया तथा यह कार्यवाही पेश कर दी। यही आरोप लगाकर अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना सदर बारां में एफ.आई. आर. दर्ज करवायी जिससे संबंधित प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां में विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को किसी भी प्रकार दोषसिद्ध नहीं किया गया है इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। अतः कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बामला को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

4– जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5– दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू 253.18 क्विं. का गबन करने एवं राज. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा आपूर्ति किये गये गेंहू की राशि 81503/– रू. बकाया होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थिया को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 26/1997 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से 253.18 क्विं. गेंहू की राशि तत्कालीन समर्थन मूल्य दर वर्ष 2022–23 दर 2015/–रू. प्रति क्विं. की दर से गेंहू की 510158/– रू. तथा निगम की बकाया राशि 81503/– रू. कुल 591661/– रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने पोश मशीन खराब होने के कारण 236.68 क्विं. गेंहू का इन्द्राज बिक्री रजिस्टर में कर उपभोक्ताओं को वितरित किया है अप्रार्थी ने गेंहू का कोई गबन नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बामला को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश प्रार्थी को प्रदान करें।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 26/1997 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर तत्कालीन समर्थन मूल्य दर वर्ष 2022–23 दर 2015/–रू. प्रति क्विं. की दर से गेंहू के पेटे 510158/– रू. तथा निगम की बकाया राशि 81503/– रू. कुल 591661/–रू. वसूली योग्य निकाली गई है।

8— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी मसर्स नरेन्द्र सोनी (पॉश कोड–7025) उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बामला, तहसील बारां, जिला–बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 591661/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:33 IST
Reason: SelfAttested